(9)

न्यायालय अति0जिला कलक्टर,राजसमन्द

(श्री बृजमोहन बैरवा, आर0ए0एस0 अतिरिक्त कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रा0प0 14(4) सं. 12/2012

बाद दायरी दिनांकः 10.12.2012

निर्णय दिनांकः 14.11..2017

अनवान्

श्री कैलाशचन्द्र पिता मांगीलाल मेवाडा निवासी केललवाडा तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द (राज0)

----प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुम्भलगढ जिला राजसमन्द
02. श्री छगनलाल पिता धूलसिंह चदाणा राजपूत
03. कमला पुत्री धूलसिंह चदाणा राजपूत
04. मांगली पत्नी धूलसिंह चदाणा राजपूत निवासी कडियां तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द (राज0)

---अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राज0 भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970

उपस्थितः– 1–श्री मुकेश तलेसरा अधिवक्ता प्रार्थी
2–श्री दिग्विजयसिंह अधिवक्ता अप्रार्थीगण
3–श्री कैलाश चन्द्र बोल्या राजकीय अधिवक्ता

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरू,द्व 10.12.2012 को प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम,1070 के तहत प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि विपक्षी संख्या 02 से 04 के पिता श्री धूलसिंह को राजस्व ग्राम कडिया की आराजी नम्बर 1951/22 के रूप में मूल खसरा सं. 22 मेसे 0.12 बिस्वा भूमि का आवंटन अवैध एवं विधि विरूद्व होने से काबिल निरस्त है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया तो अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा बहस कर प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाना अंकित किया गया।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस बताया कि प्रार्थी के स्वामित्व अधिपत्य तथा खातेदारी अधिकार की कृषि भूमियां आ.न.1940/15 ,1941/76 ,1942/77 व अन्य कृषि भूमियां 72,73,74 एवं 75 राजस्व ग्राम कडिया में स्थित है।उक्त भूमियों के आगे स्थित आराजी नं.1951/22 के रूप में मूल खसरा नम्बर 22 में 0.12 बिस्वा भूमि मिसल नं. 1/2007 के जरिये दिनांक 30.06.2007 को भूमि धूलसिंह पिता परथा चदाणा राजपूत को आवंटित की गई किया गया आवंटन अवैध,विधि विरूद्व है। जिसमें भूमि आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है। धूलसिंह को किया गया आवंटन निरस्त योग्य है।

उक्त भूमि आवंटन किये जाने से पूर्व आवंटन नियमों की पालना नही की गई और न ही आवंटन से पूर्व भूमि आंवटन हेतु कोई तारीख तय की गई । भूमि आवंटन से पूर्व आवंटन

नियम 13 (2) की पालना नहीं की गई और आवंटन समिति की मिटिंग से पूर्व एक सप्ताह का नोटिस आंवटन सलाहकार समिति को नहीं दिया गया। आवंटन समिति में नियमानुसार सदस्यों को नामांकित नहीं किया गया एवं न ही नियमानुसार सदस्यों की कोई मिटिंग ही की गयी । कानूनन आवश्यक सदस्यों के कोरम के अभाव में गठित समिति को आवंटन समिति नहीं कहा जा सकता। आवंटन से पूर्व आंवटन सलाहकार समिति के सभी सदस्यों एवं अधिकारियों को न तो सूचना ही दी गयी और न ही उनकी राय ली गयी। आवंटन किये जाने से पूर्व भूमि आवंटन बाबत कोई उदघोषणा भी नहीं की गयी और बिना उदघोषणा ही भूमि आवंटित कर दी गई । श्री धूलसिंह को जो भूमि आंवटित की गयी वह आंवटन योग्य नही होते हुये भी गलत रिपोर्ट के आधार पर भूमि को आवंटन योग्य मान लिया गया है। विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई । अतः विपक्षी दो से चार के पिता को को राजस्व ग्राम कडिया की आराजी नम्बर 1951/22 के रूप में मूल खसरा नम्बर 22 में 0.12 बिस्वा भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावे।

विपक्षीगण के अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि श्री धूरसिंह को आवंटित हुई है। राजस्व रेकर्डा में उक्त भूमि गैर खातेदार की हैसियत से दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण गरीब आदमी होकर अपने परिवार का गुजर बसर इसी भूमि से कर रहो है। आंवटित द्वारा आवंटन की सभी शर्तो की पालना कर रखी है। विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा बहस में यह भी कथन किया गया कि प्रार्थी को आवंटन निरस्त कराने का कोई आधार नहीं है। यदि प्रार्थी को रास्ते सम्बन्धी कोई परेशानी हैं तो रास्ते के लिये 251 आरटीए में सक्षम अधिकारी के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः विपक्षी का आवंटन निरस्त नहीं किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। श्री धूलसिंह पिता परथा चदाणा को किया गया आवंटन नियमों के परिपेक्ष में किया गया । आंवटी भूमि आवंटन की सभी शर्तो की पालना करने से आंवटन किया गया है। केवल आवंटित भूमि प्रार्थी की भूमियों के आगे होने से आंवटन निरस्त नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाना उचित समझता हूँ ।

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है । श्री धूलसिंह को आवंटित भूमि का आवंटन बहाल रखा जाता है।

आदेश आज दिनांक 14.11.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0जिला कलक्टर
राजसमन्द